2017/00559

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री सूरजमल सारस्वत निवासी जस्सूसर गेट के बाहर, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत प्रथम सूचना अपील संख्या 289/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.18	: निर्णय : 1. अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि हाजिर। सहायक लोक सूचना अधिकारी एविं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। 2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 14.10.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपील प्रस्तुत कर वांछित सूचना दिलाने हेतु निवेदन किया गया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 2233 दिनांक 18.12.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी, कोलायत से संबंधित होने के कारण आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1675 दिनांक 17.10.17 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्धारित समयावधि में हस्तानान्तरित करते हुए आवेदक को रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया है, साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु भी पाबन्द किया गया है। 4. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा ना तो अपील का जवाब पेश किया गया है व ना ही उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित आये है। 5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। 6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे। 7. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे। 8. निर्णय आज दिनांक 08.01.18 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official